मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक- F.No. 0002/2024/7-1 भोपाल, दिनांक- 10/01/2024

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय:- **राजस्व महा-अभियान** 15 जनवरी से 29 फ़रवरी 2024 के संबंध में।

---00---

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक महा-अभियान का आयोजन दिनांक 15/01/2024 से 29/02/2024 तक किया जा रहा है।

महा-अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों (RCMS) में लम्बित प्रकरणों (नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती इत्यादि) का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक़्शे पर तरमीम, PMKISAAN का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से e-KYC और खसरे की समग्र/आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है।

उक्त महा-अभियान में निम्नानुसार गतिविधियाँ सम्पादित की जाए:-

1. <u>राजस्व रिकार्ड का वाचन</u> :

पटवारी पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार गांव में खसरा, बी-1 का वाचन करेंगे। ये कार्यवाही 7 दिवस में पूरी की जाए।

2. <u>समग्र e-KYC तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग</u> :

समग्र वेब पोर्टल, MPONLINE/ CSC के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की **e-KYC** कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, तथा इस हेतु निर्धारित राशि संबंधित MPONLINE/ CSC के कियोस्क को विभाग के द्वारा

MPSEDC के माध्यम से प्रदान की जायेगी। सभी खातेदारों और उनके परिवार के सदस्यों को समग्र E-KYC करने के लिए प्रेरित किया जाए। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने के लिए एक यूटिलिटी विकसित की गयी है, MPONLINE और CSC के कियोस्क पर ये सुविधा भी नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। तथा इस हेतु भी निर्धारित राशि संबंधित MPONLINE/ CSC के कियोस्क को विभाग द्वारा MPSEDC के माध्यम से प्रदान की जायेगी। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही को महा-अभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जाए।

3. <u>RCMS पर प्रकरण दर्ज कराना:</u>

महा-अभियान के अंतर्गत राजस्व सम्बन्धी प्रकरण RCMS में दर्ज कराए जाएँ । नागरिकों की सुविधा के लिए लोक सेवा केंद्र के अलावा अब MPONLINE और CSC के कियोस्क के माध्यम से भी RCMS पर प्रकरण दर्ज कराए जा सकेंगे।

4. <u>RCMS पर लम्बित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण</u> :

राजस्व अधिकारियों द्वारा 31.12.2023 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लम्बित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए, तथा न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। प्राथमिकता से पुराने प्रकरणों का निराकरण किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि अभियान अवधि में 6 माह से अधिक (30.6.23 तक दर्ज) लम्बित प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण कर लिया जाए।

साथ ही अभियान के दौरान प्राप्त अविवादित प्रकरणों का निराकरण भी अभियान अवधि में सुनिश्चित किया जाये। प्राप्त नामांतरण अविवादित होने की स्थिति में 1 माह की समयसीमा की भीतर निराकरण किया जाए, तथा बंटवारा संबंधी प्रकरण अविवादित होने की दशा में तीन माह की समय सीमा में निराकरण किया जाए, साथ ही यह प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए कि सभी निराकृत प्रकरणों का अभिलेख में अमल सुनिश्चित किया जा चुका है।

5. <u>उत्तराधिकार नामांतरण :</u>

रिकार्ड में बहुत से भूमिस्वामी ऐसे दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। महा-अभियान के तहत उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जाना है और 29/02/2024 तक ये प्रमाण पत्र प्रेषित किया

जाये, कि दिनांक 31/12/2023 तक के इस प्रकार के समस्त अविवादित नामांतरण का निराकरण कर अभिलेख में अमल सुनिश्चित किया गया है।

6. <u>सीमांकन :</u>

राजस्व अधिकारियों द्वारा 31/12/2023 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए, तथा ऐसे चिन्हित प्रकरणों का सीमांकन करने की कार्यवाही अभियान के दौरान पूर्ण की जाए।

7. <u>नक्शे में तरमीम :</u>

कुछ ग्रामों के खसरा तथा नक्शे में लिंक स्थापित नहीं है और नागरिकों को उपलब्ध कराये जा रहे नक्शे पूर्णत: शुद्ध नहीं है। खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने से सम्बन्धित कृषकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है। इसके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

I. <u>खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नही होना :</u>

नामांतरण/ बंटवारा आदेश के आधार पर यदि खसरे में तो बटांकन किया गया, परंतु उसकी तरमीम नक्शे पर अमल नहीं की गई हो, तब इस प्रकार की त्रुटि नक्शे में दिखाई देती है। इस प्रकार की त्रुटि को ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भूलेख पोर्टल पर "नक्शा बटांकन" (Map Rectification) मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का कार्य किया जा सकता है। **वर्तमान में इस प्रकार की तरमीम के प्रकरण काफी अधिक संख्या में लंबित है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाए।**

II. <u>खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना :</u>

नक्शे के दो पार्सल में एक ही खसरा नंबर दर्ज है, जबकि नक्शा में प्रत्येक पार्सल पर एक यूनीक खसरा नंबर दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार की त्रुटि से खसरा एवं नक्शा लिंकिंग में समस्या होती है और कम्प्यूटर यह पता नहीं कर पाता कि किस खसरा नंबर का दोहराव हो रहा है। इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर "नक्शा संख्या अद्यतन" (Map Number/ Attribute Update) मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया जाए।

III. <u>नक्शे में बटांकन होना एवं खसरे में नही होना :</u>

यदि किसी खसरा नंबर के नक्शे मैं बटांकन दर्ज है किन्तु खसरे में मूल नंबर प्रदर्शित हो रहा है तो नक्शे में दर्ज बटांको को मर्ज कर खसरा अनुसार मूल नंबर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर "ग्राम नक्शा बटांकन (Village Map Correction) मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाए।

IV. <u>शामिल खसरे को भिन्न किया जाना</u>

सभी शामिल खासरो को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवम वर्तमान खसरा नक्शे एवम कब्जे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए।

महा-अभियान के दौरान इन कार्यो की जिला स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा करते हुए अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रगति साझा की जाए।

उक्त अभियान के समन्वय हेतु श्रीमती नमिता खरे, अपर संचालक, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल (9406723636) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कृपया राजस्व महा-अभियान के अतंर्गत उल्लेखित समस्त कार्यो को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें। अभियान की जिलेवार समीक्षा के लिए पृथक से सारा एप एवं पोर्टल में प्रावधान किया जा रहा है, जिससे प्रगति का अवलोकन किया जा सके।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक- F.No.0002/2024/7-1 भोपाल,दिनांक:-10/01/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश- अभियान की नियमित समीक्षा करें और MPSEDC से समन्वय कर डैशबोर्ड तैयार कराएँ।
4. प्रबंध संचालक MPSEDC - आवश्यक तकनीकि कार्य और MOPNLINE/ CSC कियोस्कों को onboard करने की कार्यवाही समयसीमा में पूरा करें।
5. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त के द्वारा संभाग के ज़िलों का भ्रमण तथा नियमित समीक्षा कर अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी ।
6. क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख, संभाग समस्त ।
7. अतिरिक्त संचालक, MPLRS भोपाल।
8. अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला समस्त।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

" राजस्व महा-अभियान"

समय-सारणी

दिनांक	कार्यवाही
पटवारी द्वारा कार्यवाही	
15/01/2024 से 31/01/2024	• समस्त ग्रामों में बी-1 वाचन सुनिश्चित करना • आरसीएमएस पोर्टल में प्रकरण दर्ज करना
15/01/2024 से 29/02/2024	• राजस्व अभिलेख में सुधार • प्रकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं रिपोर्ट प्रदान करना • आधार से E-KYC कराने और खसरे तथा आधार की लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु किसानों को प्रेरित करें।
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही	
15/01/2024 से 29/02/2024	• अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार • ग्रामों का क्लस्टर बनाकर सतत् भ्रमण • अभियान में आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों एवं अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, बटांकन, अभिलेख दुरूस्ती संबंधी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण • आधार से E-KYC कराने और खसरे तथा आधार की लिंकिंग की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु किसानों को प्रेरित करें।
जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही	
	• राजस्व महाअभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार • सतत भ्रमण • अभियान की सतत् समीक्षा • दिनांक 31/12/2023 की स्थिति में समस्त उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख सुधार हेतु पारित आदेश का अमल अभिलेख में सुनिश्चित किया जा चुका है।

अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा कार्यवाही	
	• अभियान के तहत प्रतिदिन के फोटोग्राफ जिले के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रेषित करते हुए राजस्व विभाग को टैग करना • समाचार पत्रों के माध्यम से अभियान का प्रचार - प्रसार • प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट एवं समीक्षा